राजस्थान सरकार
न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) रेवदर, जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी – रामजीभाई कलबी (RAS)

राजस्व प्रा. पत्र संख्या– 41/13

प्रार्थी :– वागाराम पुत्र नगाराम जाति मेघवाल निवासी– रोहूआ

श्री महेन्द्र सिंह राव –अधिवक्ता

बनाम

सुरताराम पुत्र रतनाजी जाति कलबी व अन्य

श्री प्रवीणदान –अधिवक्ता

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते रास्ता देने के सबंध में

दिनांकः– /01/2021

निर्णय :–

उपरोक्त अनवान अन्तर्गत जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध सुरताराम पुत्र रतना जी व अन्य बाबत खातेदारी कृषि भूमि मे वैकल्पिक रास्ता दिलाने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 04.06.2013 को पेश किया। जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे करता की कृषि भूमि ग्राम रोहुआ पटवार हल्का रोहुआ, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में खसरा संख्या 571/911 रकबा 47 बीघा आई हुई है। जिसमें काश्तकार अपने परिवार का भरण पोषण करते है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से प्रथम दृष्टया सहमत होकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया एवं तहसीलदार रेवदर से जांच रिपोर्ट मांगी गई। मौका रिपोर्ट 20.06.2016 को मिसल शामिल किया गया।

इसी कम में अप्रार्थी की तरफ से प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम– सहपठित धारा 151 सी. पी.सी. पेश किया गया। जवाब प्रस्तुत करने पश्चात् बहस सुनकर प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 खारिज किया गया।

दिनांक 25.05.2017 को राजस्व कैम्प रोहुआ में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रेवदर के आदेश की पालना में पटवार हल्का एवं भू–अ. निरीक्षक द्वारा संयुक्त मौका फर्द एवं नक्शा ट्रेस पेश किया गया उसे मिसल शामिल किया गया।

दिनांक 05.09.2019 को अप्राथी द्वारा जवाब एवं विशेष कथन पेश किया गया जिसे मिसल शामिल किया गया।

अप्रार्थीगण ने जवाब में बताया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख. सं. 571/911 दर्शाई है लेकिन उक्त आराजी का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में नही है एवं न ही राजस्व रेकर्ड के नक्शे में प्रार्थी की उक्त आराजी चिन्हित की हुई है। प्रार्थी द्वारा खं. सं. 572 में स्थित रास्ते में आने–जाने की बात गलत है। बल्कि सही बात यह है कि प्रार्थी पिछले कई वर्षो से व वर्तमान में रेकर्डेड रास्ते से नजदीक लगते हुए अन्य रास्ते का उपयोग कर रहे है। ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र विधि में चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारिज है।

बिन्दु सं. 2. के संदर्भ में निवेदन किया है कि प्रार्थी ने खाता संख्या 306 के खसरा सं. 571/911 रकबा 47 बीघा कृषि आराजी में आने जाने हेतु रा[illegible] लेकिन प्रार्थी ने उक्त आराजी को चिन्हित करते हुए कोई राजस्व रेकर्ड नक्शा पेश नहीं किया [illegible]

प्रार्थी कभी भी अप्रार्थीगण [illegible] प्रार्थी ने अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद करने का झूठा आरोप लगाया है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] बंद किया होता तो पटवार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.01.20 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

/01/20 12:35

प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट में दर्शाया होता। इससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि खसरा संख्या 572 अप्रार्थीगण की कृषी आराजी में किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं था।

विशेष कथन में बताया कि प्रार्थी द्वारा दर्शित खसरा सं. 571/911 रकबा 47 बीघा कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड नक्शे में इन्द्राज होकर चिन्हित नही है। जिसे सर्वप्रथम प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही है।

यह कि प्रार्थी द्वारा पिछले कई वर्षो से व वर्तमान में खाता संख्या 371 में से अपने कृषि आराजी में आने–जाने हेतु रास्ते का निरन्तर उपयोग व उपभोग बिना किसी रूकावट से कर रहा है जो प्रार्थनापत्र के जवाब के साथ संलग्न Google Map द्वारा ली गई लोकेशन ट्रेश की प्रति में Green colour से दर्शित किया हुआ है।

यह कि प्रार्थी द्वारा मांगे गये प्रस्तावित रास्ते के लगती हुई अप्रार्थीगण की लोर पर प्रार्थी के भाईयों की कृषि आराजी खसरा सं. 573 आई हुई है। उसमें से प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु आवेदन नही कर एवं उपरोक्त खसरा संख्या 573 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाकर साबित किया है कि प्रार्थी ने सिर्फ अप्रार्थीगण से ईर्श्यावश प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो विधि योग्न नहीं है।

यह कि प्रार्थी के खातेदारी कृषि आराजी खसरा संख्या 571 से लगती हुई भूमि 571/912 के पास सरकारी विद्यालय बना हुआ है। जिस पर आने–जाने हेतु वर्तमान में रास्ता चालू है। उक्त रास्ता प्रार्थी के कृषि आराजी के लोर से लगता है। जिससे प्रार्थी अपने आने–जाने हेतु रास्ते का उपयोग कर सकता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत बहस तमाम् मिसल का गहन अध्ययन करने पर पाया कि राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(A) तहत विधिक प्रावधानों का अवलोकन करना उचित होगा– "अन्य खातेदारी की जोत में से नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना– 1. जहां (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करना चाहता है। और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

1. यह आवश्यकता उत्यधिक आवश्यकता है। और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है, और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचन के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है"

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो रहा किं दिनांक 25.05.2017 की मौका फर्द एवं संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता दर्शाया हुआ है। बिन्दु B से C तक बारहमासी रास्ता चल रहा है। संलग्न नक्शे ट्रेस के अनुसार बिन्दु A से B तक रास्ता की आवश्यकता बताई गई है जो कि सबसे नजदीकी है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित ख. नं. 572 मेंसे सबसे नजदीकी रास्ता न होकर ख. नं. 706 में से है। अतः प्रार्थी द्वारा नक्शे ट्रेस में बताए अनुसार A से B हेतु सम्बन्धि खातेदारों को सूचित कर प्रार्थना पत्र पेश कर सकते है।

आज दिनांक ..4/1/21........को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रेवदर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेवदर (जिला-सिरोही)

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं पालनार्थ –
1 तहसीलदार, रेवदर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रेवदर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेवदर (जिला-सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.01.20 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested

/20 12:36

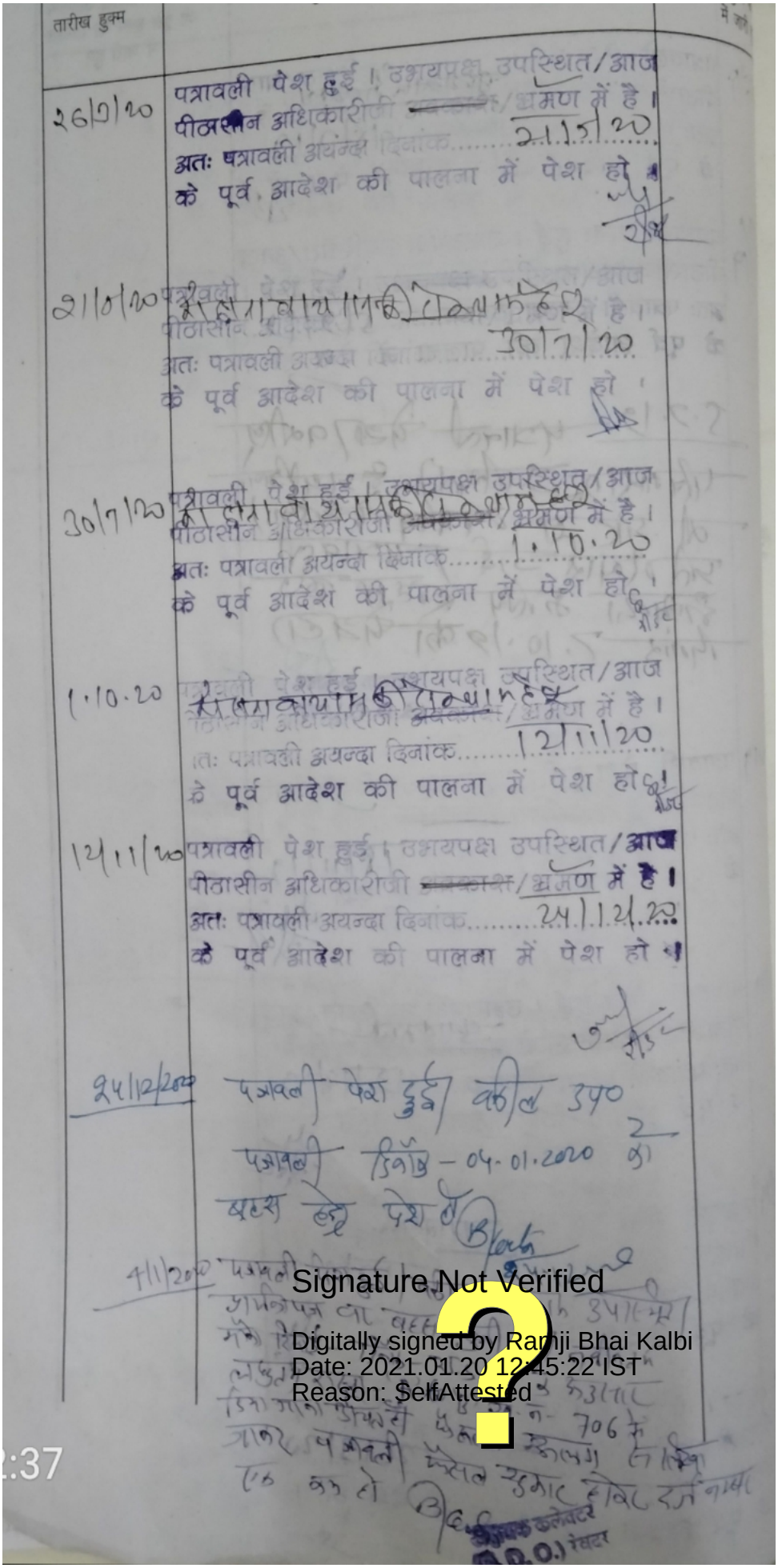

तारीख हुक्म		
26/7/20	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/आज पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश~~/भ्रमण में है। अतः पत्रावली अयन्दा दिनांक 21.10.20 के पूर्व आदेश की पालना में पेश हो।	
21/10/20	[illegible] 30/7/20 के पूर्व आदेश की पालना में पेश हो।	
30/7/20	[illegible] पीठासीन अधिकारीजी ~~अवकाश~~/भ्रमण में है। अतः पत्रावली अयन्दा दिनांक 1.10.20 के पूर्व आदेश की पालना में पेश हो।	
1.10.20	[illegible] अतः पत्रावली अयन्दा दिनांक 12/11/20 के पूर्व आदेश की पालना में पेश हो।	
12/11/20	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/आज पीठासीन अधिकारीजी ~~अवकाश~~/भ्रमण में है। अतः पत्रावली अयन्दा दिनांक 24.12.20 के पूर्व आदेश की पालना में पेश हो।	
24/12/20	पत्रावली पेश हुई वकील उप. पत्रावली दिनांक – 04.01.2020 को बहस हेतु पेश हो	
4/1/20	पत्रावली [illegible] प्रार्थीपत्र का [illegible] 706 के [illegible] पत्रावली फैसल [illegible] दर्ज [illegible]	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (S.D.O.) रेवदर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.01.20 12:45:22 IST
Reason: SelfAttested